BHARAT ELECTRONICS LIMITED
CORPORATE OFFICE
OUTER RING ROAD, NAGAVARA, BANGALORE

सं. No. 17556/821/CO-HR **दिनांक / Date: 10.04.2023**

विषय - ईपीएस'95 के तहत संयुक्त विकल्प फार्म प्रस्तुत करने संबंधी
Sub: Submission of Joint Option Form under EPS'95 – reg.
संदर्भ / Ref: i) Circular No. 17556/821/CO-HR dated 03.02.2023
ii) Circular No. 17556/821/CO-HR dated 21.02.2023
iii) Circular No. 17556/821/CO-HR dated 24.03.2023

-o0o-

1.0 रोल पर विद्यमान पात्र कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों द्वारा ईपीएस 1995 के तहत संयुक्त विकल्प फार्म जमा करने के संबंध में ऊपर संदर्भित परिपत्रों का संदर्भ लें।
Reference is invited to the Circular(s) referred above regarding submission of Joint Option Form under EPS 1995 by eligible Employees on rolls / Ex-Employees.

2.0 ईपीएफओ ने यूआरएल सक्षम बना दिया है और ईपीएफओ की वेबसाइट पर उनके द्वारा दिए गए लिंक पर ही उच्चतर पेंशन का विकल्प लिया जाना है। यह विकल्प नीचे दिए गए फ्लो के अनुसार लिया जा सकता है -
EPFO has enabled the URL and the option for higher pension has only to be exercised on the link hosted by EPFO on their website. The option can be exercised as per the flow given below:

epfindia.gov.in → Services → For Employees → Member UAN / Online Service (OCS/OTCP) → Pension on Higher Salary: Exercise of Joint option under Para 11(3) and Para 11(4) of EPS-95 on or before 3rd May 2023.

इसे नीचे दिए गए लिंक द्वारा सीधे भी प्राप्त किया जा सकता है-
The same can also be accessed directly through the following link:

https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/→ Application form for Joint Option.

3.0 जहां तक ईपीएफ योजना, 1952 का पैरा 26(6) जो संयुक्त विकल्प जमा करने का अनिवार्य दस्तावेज है, के तहत अनुमति का संबंध है, यह नोट किया जाए कि कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा कोई अलग संयुक्त अनुरोध ईपीएफओ को नहीं किया गया है क्योंकि पैरा 26(6) के तहत बताए गए अनुसार बीईएल के पीएफ ट्रस्ट के नियमों में वास्तविक वेतन पर पीएफ में अंशदान करने का प्रावधान है। इसलिए, कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों को संयुक्त विकल्प जमा करना सुगम बनाने के लिए, ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 26(6) के स्थान पर अनुमति प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-ए** में दिया गया है। हालांकि, इस पर विचार करना / स्वीकार करना पूरी तरह ईपीएफओ के विवेकाधीन है।
As regards permission under Para 26(6) of EPF Scheme, 1952 which is a mandatory document for submission of Joint Option, it may be noted that no separate Joint Request by the employee & employer was made to the EPFO as BEL PF Trust rules provide for contributing to PF on actual wages as contemplated under Para 26(6). Hence, as a way to facilitate employees/ex-employees to submit joint option, Permission Certificate in lieu of Para 26(6) of the EPF Scheme, 1952 is enclosed at **Annexure-A**. However, consideration/acceptance of the same is purely at the discretion of EPFO.

4.0 इसके अलावा, नोटरी द्वारा सत्यापित अखंडनीय शपथ-पत्र सह वचनबद्धता **अनुलग्नक-बी** के अनुसार रोल पर विद्यमान कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों द्वारा जमा करना होगा। शपथ-पत्र सह वचनबद्धता की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसकी स्कैन की गई प्रति ईपीएफओ के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और मूल शपथ-पत्र सह वचनबद्धता संबंधित पीएफ ट्रस्ट को भेजी जाएगी अन्यथा संयुक्त विकल्प फार्म पर आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा, गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर के समुचित मूल्य / नोटरीकरण के बिना शपथ-पत्र सह वचनबद्धता को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Further, an irrevocable Affidavit-cum-Undertaking duly notarised has to be submitted by the Employees on rolls / Ex-Employees as per **Annexure-B.** No changes shall be made to the content of the Affidavit-cum-Undertaking. Scanned copy of the same shall be uploaded in EPFO portal and the original Affidavit-cum-Undertaking has to be sent to respective PF Trust, failing which the Joint Option form will not be taken up for processing. Further, Affidavit-cum-Undertaking without appropriate value of Non Judicial Stamp Paper / Notarization is liable to be rejected.

5.0 ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार, संयुक्त विकल्प लेने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 03.05.2023 कर दी गई है। हालांकि, ईपीएस-95 के पात्र सदस्यों द्वारा उच्चतर वेतन पर पेंशन प्राप्त करने का विकल्प लेने के बाद, नियोक्ता (बीईएल) को विकल्प लेने वाले प्रत्येक सदस्य के विवरण का सत्यापन और विधिमान्यकरण करना होगा और इसके लिए बीईएल द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा और ईपीएफओ की वेबसाइट / यूआरएल पर पड़ने वाले प्रत्याशित अत्यधिक भार को देखते हुए, इसके लिए अधिक समय लग सकता है। इसलिए, विकल्प लेने के इच्छुक ईपीएस-95 के सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे प्रक्रियाजन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बीईएल को पर्याप्त समय देते हुए अपना विकल्प दिनांक **22.04.2023** तक जमा कर दें।
As per the EPFO website, last date of exercising the Joint Option has been extended up to 03.05.2023. However, after exercising the option for availing pension on higher wages by the eligible EPS-95 members, Employer (BEL) has to verify and validate details in respect of each opting member and considering the quantum of work involved at BEL as well as the anticipated heavy load on EPFO website/URL, this exercise would require considerable time. Hence, EPS-95 members, willing to exercise the option are advised to submit their option by **22.04.2023** giving sufficient time to BEL for further procedural formalities.

6.0 ऑनलाइन संयुक्त विकल्प फार्म भरने का एसओपी और एफएक्यू इस परिपत्र के साथ संलग्न हैं। पैरा 26(6) के स्थान पर पीएफ पर्ची / हस्ताक्षरित अनुमति प्रमाण-पत्र [ईपीएफओ पोर्टल में अधिसूचित फाइल साइज़ के अनुसार] ईएसएस / बीईएल की वेबसाइट पर दिनांक 10.04.2023 को उपलब्ध कराई जाएगी।
The SOP for filling online Joint Option Form and FAQs are enclosed along with this circular. The PF Slip / Signed Permission Certificate [as per file size notified in the EPFO Portal] in lieu of Para 26(6), Affidavit-cum-Undertaking template will be made available on ESS / BEL website on 11.04.2023.

7.0 सभी यूनिटें / कार्यालय एक समान अनुपालन के लिए इसे नोट करें और रोल पर विद्यमान कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों के बीच इसका प्रचार-प्रसार करें।
All Units / Offices may note the above for uniform compliance and disseminate the same among Employees on rolls / Ex-Employees.

महाप्रबंधक (एच.आर.)
GENERAL MANAGER (HR)

ई.डी./जी.एम./सी.टी.ओ./सी.एस. **EDs/ GMs/ CTOs/ CS**
यूनिट एच.आर./ वित्त प्रमुख **UNIT HR / FINANCE HEADS**
आर.ओ. / एम.सी. प्रमुख **RO / MC HEADS**

सीएमडी	डी (बी सी)	डी (ओ यू)	डी (आर एंड डी)	डी (एफ)	डी (मार्केटिंग)	डी (एच आर)	सीवीओ
CMD	**D (BC)**	**D (OU)**	**D (R&D)**	**D (F)**	**D (MKTG)**	**D (HR)**	**CVO**